Dowmloaded from SkillCouncils.com

रूचि की अभिव्यक्ति के लिये प्रस्ताव का अनुरोध

''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना'' अन्तर्गत कोचिंग एजेन्सी चयन हेतु।

(झारखण्ड लोक सेवा आयोग हेतु)

प्रकाशित द्वारा:– आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, द्वितीय तल, कल्याण कॉम्प्लेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची।

ई–मेल:– **tw-com-jhr@nic.in**

Dowmloaded from SkillCouncils.com

भाग I

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना का परिचय

- झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्र / छात्राएँ जो आर्थिक स्थिति कमजोर परिवार के होने के कारण स्तरीय कोचिंग सुविधा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे छात्र / छात्राओं को यदि बेहतर कोचिंग सुविधा प्रदान की जाय तो वे अपना भविष्य उज्जवल बनाने में सक्षम होगें। अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे मेधावी छात्र / छात्राओं को बेहतर रोजगार एवं रोजगार परक शिक्षा हेतु स्तरीय कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय निःशुल्क कोचिंग "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना" प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाना है।
- राज्य स्तर पर इस योजना का संचालन निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा। कोचिंग संस्था का चयन रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) के आधार पर किया जाएगा।
- पाठ्यक्रम में 40 अभ्यर्थियों का चयन कर निःशुल्क कोचिंग संचालन हेतु हज हाउस, राँची कोचिंग केन्द्र होगा। भविष्य में स्थान की कमी/आवश्यकतानुसार अन्य उपयुक्त सरकारी भवनों का उपयोग कोचिग केन्द्र के रूप में किया जाएगा।
- आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, कोचिंग संचालन हेतु नोडल एजेन्सी तथा आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड इसके नोडल पदाधिकारी होगें एवं कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य हज समिति, झारखण्ड इसके सहायक नोडल पदाधिकारी होंगे।
- योजना के प्रभावी रूप से मार्गदर्शन एवं अनुश्रवण हेतु उच्च स्तर पर एक "अनुश्रवण समिति" तथा प्रभावी रूप से संचालन हेतु एक "संचालन समिति" का गठन किया जाएगा।

Downloaded from SkillCouncils.com

झारखण्ड सरकार

आदिवासी कल्याण आयुक्त का कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय, कल्याण कॉम्पलेक्स मोराबादी, राँची।

निविदा आमंत्रण सूचना

झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को **झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति** के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी हेतु राज्यस्तरीय निःशुल्क कोचिंग "मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कोचिंग योजना–2024" के संचालन हेतु Jharkhand e-Procurement portal के माध्यम से कोचिंग संस्थाओं के चयन हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। कोचिंग संस्था का चयन वित्त विभाग, झारखण्ड की संकल्प संख्या–2315, दिनांक–04.10.2024 द्वारा प्रकाशित Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual में निहित निविदा पद्धति "Quality and Cost Based Selection" Method के द्वारा किया जाएगा।

क्र० सं०	विषय वस्तु	विस्तृत विवरण
1.	कार्य का विवरण	राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी छात्र/छात्राओं को **झारखण्ड लोक सेवा आयोग** द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग। पाठ्यक्रम में छात्र–छात्राओं की संख्या –40 होगी।
2.	रूचि की अभिव्यक्ति प्रकाशन एवं निविदा दस्तावेज का डाउनलोड प्रारंभ करने की तिथि	26.08.2025 पूर्वाहन् 9:00 बजे से
3.	प्री–बिड की बैठक	01.09.2025 अपराहन् 12:30 बजे से
4.	रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने के प्रारंभ की तिथि एवं समय	02.09.2025 पूर्वाहन् 9:00 बजे से
5.	रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	16.09.2025 अपराहन् 6:00 बजे तक
6.	अग्रधन की राशि(E.M.D)	1,00,000/– (एक लाख) रूपये मात्र Jharkhand e-Procurement portal पर
7.	रूचि की अभिव्यक्ति खोलने की तिथि एवं समय	18.09.2025 अपराहन् 2:30 बजे
8.	रूचि की अभिव्यक्ति खोलने का स्थान	कल्याण कॉम्पलेक्स, बलिहार रोड, मोराबादी, राँची, झारखण्ड।
9.	प्रस्तुतीकरण (Presentation) की तिथि एवं समय	बाद में सूचित किया जाएगा।
10.	एजेन्सी चयन की प्रक्रिया	तकनीकी प्रस्ताव (प्रस्तुतीकरण के साथ) एवं वित्तीय प्रस्ताव (क्रमशः 70% एवं 30% के अनुपात में) के आधार पर।

विस्तृत जानकारी Jharkhand e-Procurement portal से प्राप्त की जा सकती है।

25.8.25

आदिवासी कल्याण आयुक्त।

Downloaded from SkillCouncils.com

रूचि की अभिव्यक्ति अन्तर्गत शर्ते :–

(i) सभी इच्छुक सुयोग्य संस्था/गैर सरकारी संगठन (NGO)/फर्म/कम्पनी संबंधित पाठ्यक्रम के लिए तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव समर्पित कर सकती है।

(ii) सभी दस्तावेज की मूल हस्ताक्षरित प्रति मुहर सहित अपलोड करना होगा।

(iii) रूचि की अभिव्यक्ति की अग्रधन की राशि– 1,00,000/– रूपये Jharkhand e-Procurement portal पर समर्पित किया जायेगा।

(iv) संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम–1860/कम्पनीज एक्ट 1956/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट अन्तर्गत भारत सरकार अथवा झारखण्ड राज्य में किसी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए। पंजीयन गलत होने अथवा शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में जाँच के उपरान्त संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है।

(v) संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी का निबंधन कम से कम 05 वर्ष पूर्व हुआ हो तथा कम से कम 03 वर्षो से कोचिंग (जिस पाठ्यक्रम के लिये प्रस्ताव दिया गया है) के क्षेत्र में कार्यरत हो।

(vi) संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी का PAN/TAN एवं GST नम्बर अनिवार्य है।

(vii) संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी का विगत तीन वर्षों का Audit Report एवं ITR की प्रति।

(viii) संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रस्ताव से संबंधित परीक्षा में विगत तीन वर्षों में उनके कोचिंग अन्तर्गत नामांकित एवं सफल छात्रों की संख्या (class room course में) का विवरण।

(ix) शिक्षक/फैकल्टी का पूर्ण विवरण एवं अनुभव की विस्तृत विवरणी। शिक्षक/फैकल्टी की संख्या JPSC के लिये न्युनतम 05 होनी चाहिये। विवरण समर्पित किये गये शिक्षक/फैकल्टी को अनुश्रवण समिति की पूर्व अनुमति से वर्णित योग्यता वाले शिक्षक/फैकल्टी से बदला जा सकेगा।

(x) तकनीकी प्रस्ताव में निर्धारित अंक पाने वाले सभी संस्था को अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण (Presentation) देना होगा।

(xi) प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रस्ताव समर्पित करने वाले संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी का तकनीकी प्रस्ताव खोलकर तुलनात्मक पत्र तैयार किया जाएगा। तकनीकी प्रस्ताव में निर्धारित अंक पाने वाले संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी को अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण (Presentation) में कार्ययोजना की विस्तृत रणनीति प्रस्तुत करना होगा। सभी संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी का तकनीकी प्रस्ताव एवं प्रस्तुतीकरण (Presentation) के आधार पर अंक प्रदान किया जाएगा। अंक निर्धारण पद्धति को भाग VIII में देखा जा सकता है।

(xii) सभी पात्र संस्थाओं द्वारा समर्पित तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा न्युनतम 50% अंक–यथा कुल 40 अंक प्राप्त करने वाले पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(xiii) प्रस्तुतीकरण में मूल्यांकन के उपरांत पात्र संस्थाओं द्वारा समर्पित वित्तीय प्रस्तावों को खोला जाएगा।

(xiv) यदि तकनीकी प्रस्ताव एक से अधिक संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी समान अंक प्राप्त करती है तो निम्नलिखित क्रमिक आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा–

(क) शिक्षक/फैकल्टी की संख्या, योग्यता एवं अनुभव।

(ख) संस्था/ NGO/फर्म/कम्पनी का औसत वार्षिक टर्नओवर।

Dowmloaded from SkillCouncils.com

(ग) कोचिंग से सफल छात्रों का संख्या के आधार पर।

(xv) संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी का चयन दो वर्षो के लिए किया जाएगा। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी को कार्यादेश निर्गत किया जाएगा। कार्यादेश चयन के उपरान्त तुरन्त निर्गत करने की बाध्यता नहीं होगी बल्कि इसकी अवधि 30 दिनों की होगी। कार्यादेश दो वर्षो के कार्यकाल के लिए निर्गत किया जाएगा। यदि कार्यादेश प्राप्त करने की अर्हता रखने वाली संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी किसी कारण से कार्यादेश प्राप्त करने की इच्छुक न हो अथवा कार्यादेश प्राप्त करने के उपरान्त उसका कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा तथा पैनल से अन्य संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी का चयन संचालन समिति की अनुशंसा पर अनुश्रवण समिति द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

(xvi) चयनित संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी को विभाग द्वारा शर्तो के अधीन नोडल एजेन्सी से नन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर सशर्त अनुबंध करना होगा।

(xvii) चयनित संस्था/NGO/फर्म/कम्पनी को अनुबंध के पूर्व कुल अनुबंध राशि का 05 प्रतिशत Performance Gaurantee के रुप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक गारंटी नोडल एजेंसी के पास जमा करना होगा।

(xviii) किसी भी सरकार (केन्द्र अथवा राज्य) द्वारा काली सूची में नहीं दर्ज होने का शपथपत्र तथा सभी समर्पित दस्तावेजों के सही होने का शपथ पत्र समर्पित करना होगा।

(xix) नोडल एजेन्सी को रूचि की अभिव्यक्ति (EoI) किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

(xx) किसी विवाद की स्थिति में निष्पादन जिला न्यायालय, राँची/माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में होगा।

Downloaded from SkillCouncils.com

(90)

भाग IV

कोचिंग की अवधि

झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC/PCS) के लिए 1 वर्ष (10–12 माह) होगी।

Dowmloaded from SkillCouncils.com

भाग **V**

क्र०	मद	मदवार व्यय की राशि	कुल राशि (राशि रुपये)
1.	कोचिंग फी (JPSC, 40 Students)	रु० 60000 x 40 (रु० 60000 प्रति Student प्रति वर्ष)	2400000.00

नोटः– कोचिंग फी राशि संकल्प में निर्धारित पुरे कोचिंग अवधि के लिये होगी।

Dowmloaded from SkillCouncils.com

भाग VI

कोचिंग संस्था का दायित्व–

I. कोचिंग हेतु चयनित छात्र/छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु उत्तम कोचिंग प्रदान करना।

II. छात्र/छात्राओं का टेस्ट सीरीज के माध्यम से मूल्यांकन करना एवं अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।

III. कोचिंग संस्था में समय–समय पर मार्गदर्शन/उत्साहवर्धन हेतु प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

IV. समय–समय पर छात्र/छात्राओं के प्रगति प्रतिवेदन से नोडल एजेन्सी को अवगत कराना।

V. कोचिंग हेतु चयनित छात्र/छात्रओं के स्टडी मटेरियल कोचिंग संस्था के द्वारा तैयार किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार छात्र/छात्राओं को वितरित किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु कोचिगं केन्द्र में अध्ययन सामग्री वितरण पंजी रखना होगा।

VI. कैरियर काउंसिलिंग/कार्यशाला/मोटिवेशनल/सेमिनार आदि का आयोजन कोचिंग संस्था के द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

VII. छात्र/छात्राओं का आवश्यकतानुसार पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक एवं छमाही टेस्ट लेना होगा एवं मूल्यांकन करना होगा। मूल्यांकन के आधार पर सुधार हेतु सुझाव तथा अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सतत सकारात्मक प्रयास करना होगा। टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अभिलेख संस्था को सुरक्षित रखना होगा।

VIII. चयनित छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था का दायित्व कोचिंग संस्था का होगा।

IX. कक्ष में अनुशासन बनाये रखने का दायित्व कोचिंग संस्था का होगा।

X. कोचिंग कक्षा का समय–समय पर निरीक्षण एवं मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा अधिकृत अधिकारियों के द्वारा किया जा सकेगा।

XI. चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कोचिंग केन्द्र पर छात्र/छात्राओं के लिये विशेषज्ञ, स्टेशनरी, पुस्तकें, स्टडी मेटेरियल, नियमित मासिक, त्रैमासिक, छमाही टेस्ट, व्यक्तिगत विकास, इंग्लिश स्पोकन, साक्षात्कार के कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

XII. कोचिंग संस्था अपने सभी कार्य नोडल एजेंसी के देखरेख (Guidance) में करेगी।

Dowmloaded from SkillCouncils.com

भाग VII

कोचिंग संस्था को राशि भुगतान–

I. कोचिंग संस्था को प्रस्ताव /निर्धारित राशि का भुगतान 20:30:30:20 के अनुपात में की जायेगी। एकरारनामा/अनुबंध के समय प्रथम 20% का भुगतान किया जायेगा। कोचिंग अवधि के चौथे/पांचवे माह में द्वितीय किस्त 30% एवं आठवे/नौवे माह में तृतीय किस्त 30% का भुगतान किया जोयेगा। शेष 20% राषि का भुगतान कोचिंग अवधि की समाप्ति के उपरान्त संचालन समिति की अनुषंसा पर नोडल एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

II. चयनित कोचिंग एजेन्सी को राशि का भुगतान आयकर, GST आदि सभी करों की कटौती के उपरान्त किया जायेगा।

Dowmloaded from SkillCouncils.com

भाग VIII

योग्यता का निर्धारण

प्रस्तावक द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर अंक निर्धारण की पद्धति

झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) हेतु कोचिंग के लिए :–

क्र० सं०	पैरामीटर / मापदंड	उच्चतम अंक	अंक निर्धारण की पद्धति
1	संस्था / NGO / फर्म / कम्पनी का अनुभव	15	(i) 03 वर्ष से 05 वर्ष तक के लिये– 10 अंक (ii) 05 वर्ष से अधिक के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अंक (अधिकतम–05 अंक)–05 अंक
2	संस्था / NGO / फर्म / कम्पनी वार्षिक टर्नओवर	15	(i) विगत 03 वर्षो का औसत वार्षिक न्युनतम 25 लाख से 50 लाखः–05 अंक (ii) 50 लाख से अधिक की स्थिति में प्रत्येक 10 लाख के लिये 02 अंक (अधिकतम–10 अंक)–10 अंक
3	शिक्षक / फैकल्टी का पूर्ण विवरण एवं अनुभव (न्युनतम 05 शिक्षक / फैकल्टी)	15	(i) केन्द्रीय / राज्य / UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Masters डिग्री एवं न्युनतम 10 वर्षों का अध्यापन का अनुभव–05 अंक (ii) कोचिंग संस्था मे पढ़ाने का न्युनतम 05 वर्षों का अनुभव–05 अंक (iii) JPSC/PCS में साक्षात्कार का अनुभव–05 अंक
4	विगत 03 वर्षों में कोचिंग संस्थान में (प्रस्तावित पाठ्यक्रम में) नामांकित (class room course) छात्र / छात्राओं की औसत वार्षिक संख्या	15	(i) न्युनतम 25 छात्र / छात्राएं–10 अंक (ii) प्रत्येक 10 छात्र / छात्राओं पर 01 अतिरिक्त अंक (अधिकतम 05 अंक)–05 अंक
5	विगत 03 वर्षो में कोचिंग संस्थान में (प्रस्तावित पाठ्यक्रम में) सफल (class room course) छात्र / छात्राओं की औसत वार्षिक संख्या	20	(i) न्युनतम 05 छात्र / छात्राएं–10 अंक (ii) प्रत्येक 02 छात्र / छात्राओं पर 02 अतिरिक्त अंक (अधिकतम 10 अंक)–10 अंक
6	प्रस्तुतीकरण (Presentation)	20	प्रस्तुतीकरण (Presentation) एवं कार्ययोजना की विस्तृत रणनीति के आधार पर।

उक्त विवरणी के कंडिका– 1 से 5 के अनुसार सभी पात्र संस्थाओं द्वारा समर्पित तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा न्युनतम 50% अंक– यथा कुल 40 अंक प्राप्त करने वाले पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

प्रस्तुतीकरण में मूल्यांकन के उपरांत पात्र संस्थाओं द्वारा समर्पित वित्तीय प्रस्तावों को खोला जाएगा।

तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रियाः–

Downloaded from SkillCouncils.com

उपरोक्त विवरणी एवं प्रस्तुतीकरण में जिस किसी संस्था द्वारा सर्वाधिक अंक (Tm) प्राप्त किया जाएगा, उन्हें 100 का तकनीकी स्कोर (Tf) प्रदान किया जाएगा। अन्य पात्र संस्थाओं को तदनुसार तकनीकी स्कोर निम्न समीकरण के अनुसार प्रदान किया जाएगाः– Tf=100 x To/Tm; जहाँ Tm सर्वाधिक तकनीकी अंक, To संबंधित पात्र संस्था का तकनीकी अंक एवं Tf तकनीकी स्कोर है।

वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रियाः–

- तकनीकी मूल्यांकन एवं प्रस्तुतीकरण के उपरांत तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन किया जाएगा, तदोपरान्त पात्र संस्थाओं का वित्तीय प्रस्ताव खोला जाएगा।
- किसी भी प्रकार का शर्तीय प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
- सबसे कम वित्तीय प्रस्तावित राशि (Fm) को 100 का सर्वाधिक वित्तीय स्कोर (Ff) प्रदान किया जाएगा। अन्य पात्र संस्थाओं द्वारा समर्पित वित्तीय प्रस्तावित राषि की गणना निम्न समीकरण के अनुसार की जाएगीः– Ff=100 x Fm/Fo; जहाँ Fm सबसे कम वित्तीय प्रस्तावित राशि, Fo संबंधित पात्र संस्था का वित्तीय प्रस्तावित राषि एवं Ff वित्तीय स्कोर है।

निर्णायक मूल्यांकन की प्रक्रियाः–

- तकनीकी एवं वित्तीय स्कोर प्रदान किये जाने के पश्चात निर्णायक मूल्यांकन निम्न समीकरण के अनुसार किया जाएगाः– S= ((70 x Tf) + (30 x Ff)/100) जहां S पात्र संस्था का कुल स्कोर, Tf तकनीकी स्कोर तथा Ff वित्तीय स्कोर है।

सर्वाधिक कुल स्कोर (S) प्राप्त करने वाली संस्था का चयन किया जाएगा।

-----------x-------------x-----------x------------